न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 14 / 2019
दायर दिनांक :— 08 / 04 / 2019
निर्णय दिनांक :— 29 / 11 / 2019

अनवान

श्री रामलाल पिता माला कुमावत निवासी नारायणगंज (ओडा) तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

—अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार रेलमगरा प्रकरण संख्या 151 / 2016 ना. क. निर्णय दिनांक 07.03.2019

उपस्थित :—

1—श्री सम्पतलाल लढ्ढा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2—श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अपीलांट के विरूद्ध राजस्व ग्राम नारायणगंज पटवार हल्का ओडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 1983 / 1 रकबा 305—01 बीघा भूमि किस्म बिलानाम नदी पर 4.00 बिघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिकमित को भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिकिमी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिकिमी मानते हुये लगान 10 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 500 / — एवं फसल निलामी राशी 2000 / — रूपये आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 07.03.2019 को पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम नारायणगंज पटवार हल्का ओडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित खसरा संख्या

1983/1 रकबा 305—01 बीघा भूमि किस्म बिलानाम नदी पर 4.00 बीघा भूमि पर प्रार्थी का बहुत पुराना कब्जा है, राजस्व रेकार्ड में गलत रूपेण बिलानाम नदी दर्ज है, वहां पर नदी का बहाव क्षेत्र नहीं है तथा नदी का पानी कभी भी वहां तक नहीं आया है, अपीलार्थी का कब्जा पुराना होना प्रस्तुत की गई पी. 14 की रिपोर्ट से पूर्णत साबित है। अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना भी की गई कि वादग्रस्त स्थल पर पानी नहीं आता है तथा किस्म परिवर्तन करना जरूरी है, जिसके लिये जिला कलक्टर महोदय राजसमंद के यहां रेफरेन्स हेतु प्रेषित किया जाना चाहिये, किन्तु अवर न्यायालय के अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही प्रेषित करने के बजाय फेसल कर दी व अपीलार्थी का समुचित प्रतिरक्षा का अवसर नहीं मिला है। अपीलार्थी ने जवाब में स्पष्ट लिखा है कि मौका स्थिति स्थल निरीक्षण रिपोर्ट हमारी उपस्थिति में बनाई जावे, ताकि मौके की वास्तविक स्थिति रेकार्ड पर आ सके, किन्तु अपीलार्थी की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने स्वयं व गवाहो के बयान करने हेतु भी निवेदन किया, किन्तु कोई अवसर नहीं दिया गया, जिससे न्याय की हानि हुई है। वर्ष 2016 में बहुत अधिक बरसात हुई, रेलमगरा क्षेत्र में बाढ भी आई, नन्दसमन्द बांध के सभी गेट से पानी छोडा गया, किन्तु वह पानी भी वादग्रस्त स्थल से 100 फीट की दूरी से भी अधिक दूरी से निकला है, इतने अधिक पानी में भी अपीलार्थी के कब्जाशुदा वादग्रस्त क्षेत्र में नहीं आया तो जांच वह भी गहन जॉच जरूरी है, कि वास्तव में रेकर्ड में ''किस्म नदी'' सही भी है, या केवल रेकर्ड पर त्रुटि से ऐसा अंकन हुआ हैं पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से वादग्रस्त स्थल पर पानी नहीं आया तो बेदखली का औचित्य क्या है, इससे व्यक्ति गत क्षति के साथ साथ राष्ट्रीय आय का भी नुकसान होगा। बिलानाम जमीन को अपीलान्ट ने लाखों रूपये खर्च कर काबिल कास्त बनाया है। पास में ही कुंवा खोदा गया है, जिससे हमारे खेतों में इंजिन के जरिये फसलों की पिलाई की जाती है, तथा वर्तमान में हमने ज्वार व मक्की की फसल बुवाई है, जो फसल भी मौके पर विद्यमान है। मौके के फोटो से भी स्पष्ट है, जिससे हमारे उक्त कथनों की पूर्ण रूप से पुष्टि होती है। जिसकी ताईद जिन्सवारी का अहम दस्तावेज भी कहता है कि अपीलांट ने जमीन में काफी समय से उपजाउ योग्य बना कर कास्त की है, गलती से रेकार्ड में किस्म नदी अंकित होने से हमारे खातेदारी होने से रह गई हैं इस संबंध में जॉच रिपोर्ट मंगवा ली जावे कि हमारी जमीन में इस वर्ष भी नदी का पानी आया नहीं, कितने वर्षों से पानी हमारे खेतो में नहीं आया। जब नदी वादग्रस्त खेत में से गुजर ही नहीं रही है तो किस्म नदी के अंकन के आधार पर हमारे विरूद्ध नाजायज रूप से बेदखली की कार्यवाही उचित नहीं है। इस प्रकरण को जिला कलक्टर/ रेवेन्यु बोर्ड को भेजा जाना चाहिये कि बिलानाम जमीन पर 50 वर्षो से भी अधिक समय में कभी भी नदी का पानी या बहाव क्षेत्र हमारे कब्जेशुदा वादग्रस्त खेत में नहीं आया, तब क्या वादग्रस्त क्षेत्र को नदी माना जावेगा? यदि नही मानते है तो हमारा मामला नियमन योग्य बनता है। क्योंकि हमारा कब्जा काफी वर्षो पुराना है तथा जमीन को हमने लाखों रूपये खर्च कर आबाद कर काबिल कास्त किया है। मौके पर अपीलांट ने कुंवा का निर्माण भी करवाया है, जो नियमन हो चुका है। केवल वादग्रस्त भूमि नियमन होनी शेष है, जिससे उक्त सम्पूर्ण मामला नियमन कमेटी में भेजे जाने योग्य होकर उक्त भूमि नियमन की श्रेणी में आती है। जिससे बेदखली की कार्यवाही की जानी अनुचित है। वर्तमान में किस्म परिवर्तन होने में समय लगता है एवं अपीलार्थी की भूमि तक नदी का पानी किसी समय आता भी है तो अपीलार्थी स्वतः खेती नही कर पायेगा, किन्तु बेदखली की कार्यवाही से गरीब अपीलार्थी द्वारा कडी मेहनत से बनाई जमीन से बेदखली पर अपीलार्थी बर्बाद हो जावेगा। अपीलांट के पास अन्य कोई जमीन नहीं है, अपीलांट अकृषक की श्रेणी में आता है तथा अपीलान्ट को बेदखल किये जाने पर अपीलांट बर्बाद हो जावेगा, अपीलांट की आजीविका का एक मात्र जरिया वादग्रस्त कृषि भूमि ही है। खेत नष्ट क्षतिग्रस्त कर दिये जाने पर अपीलांट को भारी नुकसान होगा, अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी विवाद बढ जावेगा। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में नहीं की जा सकती। न्यायालय

तहसीलदार द्वारा अतिक्रिमी के विरूद्ध जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत नहीं होती है। न्यायालय तहसीलदार द्वारा की गयी सारी कार्यवाही गलत एवं विधिविरूद्व है और अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रेलमगरा का आदेश खारिज फरमाया जावें ।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि राजस्व ग्राम नारायणगंज तहसील रेलमगरा की आराजी नम्बर 1983/1 रकबा 305.01 बीघा भूमि किस्म बिलानाम नदी मे सें 4.00 बीघा भूमि पर अतिक्रिमी द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया । अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में हल्का पटवारी से अतिक्रमी का कब्जा काश्त और मौके की रिपोर्ट चाही गई । पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट मय मौका पर्चा ,जमाबन्दी मय ट्रेस प्रस्तुत कि जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मोजूद है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बताया हैं कि अपीलाण्ट श्री रामलाल पिता माला कुमावत का आराजी नम्बर 1983/1 रकबा 305.01 बीघा भूमि किस्म बिलानाम नदी में से 4.00 बीघा भूमि पर विपक्षी का कब्जा चला आ रहा है। विपक्षी का कब्जा काफी पुराना है किन्तु अतिक्रमणसुदा भूमि बिलानाम नदी दर्ज है। जो किसी भी प्रकार से नियमन योग्य नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है। इसके साथ ही D.B. Civil Writ Petiton No. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02-08-04 से भी सम्बन्धित है। जिससे विपक्षी के नाम किसी भी सुरत में भी भूमि नियमन योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रिमी के विरूद्व जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम नारायणगंज तहसील रेलमगरा की आराजी नम्बर 1983/1 रकबा 305.01 बीघा किस्म बिलानाम नदी भूमि में से 4.00 बीघा भूमि पर अतिक्रिमी द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है। इसके साथ ही D.B. Civil Writ Petiton No. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02-08-04 से भी सम्बन्धित होने से नियमन एवं आवंटन नहीं की जा सकती । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व की गई कार्यवाही बेदखल व शास्ति 500/-रूपये एवं फसल निलामी राशि 2000/- रूपये आरोपित करने के आदेश से मैं सन्तुष्ट हूँ । अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हूँ। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं । अपील अपीलाण्ट खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अति० जिला कलक्टर
राजसमन्द